

 सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	पौष 17, बुधवार, शाके 1947- जनवरी 07, 2026 Pausa 17, Wednesday, Saka 1947- January 07, 2026	

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य-प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप-विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

वित्त विभाग

(कर अनुभाग)

अधिसूचना

जयपुर, दिसम्बर 31, 2025

जी.एस.आर.134 :- राजस्थान राजभाषा अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम सं. 47) की धारा 4 के परन्तुक के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना संख्यांक प. 2(6)वित्त/कर/2023-123 दिनांक 10.12.2025 का हिन्दी अनुवाद सर्वसाधारण के सूचनार्थ एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

राज्यपाल के आदेश से,

नथमल डिडेल,

संयुक्त शासन सचिव।

(प्राधिकृत हिन्दी अनुवाद)

"अधिसूचना

जयपुर, दिसम्बर 10, 2025

रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 16) की धारा 5 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, इस विभाग की समय-समय पर यथासंशोधित, अधिसूचना संख्यांक प.4(2)वित्त/कर/2023-41 दिनांक 10.02.2023 में इसके द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

संशोधन

उक्त अधिसूचना की मद संख्यांक 3 में, विद्यमान अभिव्यक्ति "ग्राम भिवाड़ी, नंगलिया, घटाल, रामपुरा, शाहडोद, हरचंदपुर, सांथलका, खिजपुर, बीलाहेडी, मुंडाना, अमलांकी, कारेंडी, कारेंडा, बहादरी, फलसा, भूडली, गाडपुर, कहरानी, गोधान, बनबन, झीवाना, जोडिया, बंदापुर, हुसेपुर, खेड़ी, मेहंदीका, उंधनवास, कुलावट, सारेखुर्द, सारेकलां, खरखड़ी, गंधोला, चौपानकी, पथरेड़ी, फकरूद्दीनका, खोहरी कलां, खोहरी खुर्द, खातीवास,

छापर, लादिया, मयापुर, दांगनहेडी, कर्मपुर, बूरेड़ा, कारोली, करमसीबास, खुशखेड़ा, महेशरा, धाबावास, राबडका, सलारपुर, साहपुर, हुसींगपुर, बनवीरपुर, बीबीपुर, ततारपुर, कालाका, थड़ा, उदयपुर, सींथल, खिजरीवास, मिलकपुरगुर्जर, खानपुर, आलमपुर, सैदपुर और चुहडपुर।” के स्थान पर अभिव्यक्ति “ग्राम भिवाड़ी, नंगलिया, घटाल, रामपुरा, शाहडोद, हरचंदपुर, सांथलका, खिजपुर, बीलाहेडी, मुंडाना, अमलांकी, कारेंडी, कांरेडा, बहादरी, फलसा, भूडली, गाडपुर, कहरानी, गोधान, बनबन, झीवाना, जोडिया, बंदापुर, हुसेपुर, खेड़ी, मेहंदीका, उंधनवास, कुलावट, सारेखुर्द, सारेकलां, खरखड़ी, गंधोला, चौपानकी, पथरेड़ी, फकरूद्दीनका, खोहरी कलां, खोहरी खुर्द, मायापुर, हुसींगपुर, बीबीपुर, ततारपुर, थड़ा, उदयपुर, सींथल, खिजरीवास, मिलकपुरगुर्जर, खानपुर, आलमपुर, सैदपुर और चुहडपुर।” प्रतिस्थापित की जायेगी।

यह अधिसूचना 11.12.2025 से प्रवृत्त होगी।

[सं. एफ.2(6)वित्त/कर/2023-123]

राज्यपाल के आदेश से,
नथमल डिडेल,
संयुक्त शासन सचिव”।

Government Central Press, Jaipur.